

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2

लखनऊ ; दिनांक 14 जुलाई 2008

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत लोक प्राधिकरणों (Public Authority) हेतु मार्गदर्शिका।

महोदय,

जैसाकि आप अवगत हैं कि लोक प्राधिकरणों के नियंत्रणाधीन सूचनाओं तक नागरिकों की पहुँच सुनिश्चित करने तथा लोक प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने य सूचना के प्रवाह को व्यवहारिक बनाने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार विषयक अधिनियम, 2005, दिनांक 12 अक्टूबर, 2005 से पूरे देश में प्रभावी है।

2— भारत सरकार द्वारा लोक प्राधिकरणों (Public Authority) हेतु अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को स्पष्ट करने वाली एक मार्गदर्शिका तैयार की गई है। इसी आधार पर राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई मार्गदर्शिका की एक प्रति आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आप कृपया अपने विभाग एवं अपने विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में आने वाले निदेशालय/अधीनस्थ कार्यालय/ सार्वजनिक निगमों/उपकरणों / संस्थाओं/ बोर्ड / आयोग आदि, के प्रत्येक लोक प्राधिकरण को मार्ग दर्शिका की एक-एक प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि यह मार्गदर्शिका उन्हें अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से निष्पादित करने में सहायक सिद्ध हो सके।

संलग्नक— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव।

लोक प्राधिकरणों (Public Authorities) के लिए मार्गदर्शिका

लोक प्राधिकरण (Public Authority) ऐसी सूचनाओं का भण्डार होते हैं, जिन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त करना नागरिकों का अधिकार है। अधिनियम के अनुसार 'लोक प्राधिकरण' (Public Authority) का अर्थ ऐसा प्राधिकरण या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था है, जो संविधान द्वारा या उसके अधीन बनाया गया हो; या संसद या किसी राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा बनाया गया हो; या केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश द्वारा स्थापित या गठित किया गया हो। केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या आंतरिक रूप से वित्तपोषित निकाय और केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित गैर-सरकारी संगठन भी लोक प्राधिकरण (Public Authority) की परिभाषा में आते हैं। सरकार द्वारा किसी निकाय या गैर-सरकारी संगठन का वित्तपोषण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हो सकता है।

2. अधिनियम ने लोक प्राधिकरणों के लिए कुछ महत्वपूर्ण दायित्व निर्धारित किए हैं। लोक प्राधिकरणों (Public Authorities) के नियंत्रणाधीन सूचनाओं तक नागरिकों की पहुँच को आसान बनाने के उद्देश्य से किसी लोक प्राधिकरण के दायित्व वास्तव में प्राधिकरण के मुखिया के दायित्व हैं। लोक प्राधिकरण (Public Authority) के मुखिया के द्वारा यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि इन दायित्वों का पूरी गम्भीरता से पालन हो। इस दस्तावेज में लोक प्राधिकरण का आशय वास्तव में लोक प्राधिकरण के मुखिया से ही है।

सूचना क्या है

3. किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री 'सूचना' है। इसमें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, माडल, ऑकड़ों सम्बन्धी सामग्री शामिल है। इसमें किसी निजी निकाय से सम्बन्धित ऐसी सूचना भी शामिल है जिसे लोक प्राधिकरण तत्समय लागू किसी कानून के अन्तर्गत प्राप्त कर सकता है।

अधिनियम के अन्तर्गत सूचना का अधिकार

4. किसी नागरिक को किसी लोक प्राधिकरण से ऐसी सूचना माँगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकरण (Public Authority) के पास उपलब्ध है या उसके

नियंत्रण में उपलब्ध है। इस अधिकार में लोक प्राधिकरण (Public Authority) के पास या नियंत्रण में जालना कहि, दरतामेजों तथा रिकॉर्डों का निरीक्षण, दरतामेजों या रिकॉर्डों के नोट, लक्षण या प्रमाणित प्रतियों प्राप्त करना, रामग्री के प्रमाणित गृहों को लेना शामिल है।

5. अधिनियम नागरिकों को, रांसाध-रादरयों और राज्य विधान मण्डल के रादरयों के बराबर सूचना का अधिकार प्रदान करता है। अधिनियम के अनुसार ऐसी सूचना, जिसे रांसाध अथवा राज्य विधानमण्डल को देने से इन्कार नहीं किया जा सकता, उसे वित्ती व्यवित को देने से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

6. नागरिकों को डिरकेट्स, फ्लापी, ट्रैप, बीडियो कैरोट या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में अथवा प्रिंट आउट के रूप में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, वश्ते कि मांगी गई सूचना कार्य्यूटर में या अन्य किसी युक्ति में पहले से सुरक्षित है, जिससे उसे डिरकेट आदि में स्थानांतरित किया जा सके।

7. आवेदक को सूचना सामान्यतः उसी रूप में प्रदान की जानी चाहिए, जिसमें वह मांगता है। तथापि, यदि किसी विशेष स्वरूप में मांगी गई सूचना की आपूर्ति से लोक प्राधिकरण के रांसाधनों का अनपेक्षित ढंग से विचलन होता है या इससे रिकॉर्डों के परिष्कारण में कोई हानि की सम्भावना होती है, तो उस रूप में सूचना देने से मना किया जा सकता है।

8. अधिनियम के अन्तर्गत सूचना का अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। अधिनियम में निगम, रांघ, कम्पनी आदि को, जो वैध हरितयों/व्यक्तियों की परिभाषा के अन्तर्गत तो आते हैं, किन्तु नागरिक की परिभाषा में नहीं आते, को सूचना देने का कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी, यदि किसी निगम, रांघ, कम्पनी, गैर राजकारी रांगठन आदि के किसी ऐसे कर्मचारी या अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया जाता है, जो भारत का नागरिक है, तो उसे सूचना दी जायेगी, वश्ते वह अपना नाम इंगित करें। ऐसे मामले में, यह प्रकल्पित होगा कि एक नागरिक द्वारा निगम आदि के पते पर सूचना मांगी गई है।

9. अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्रदान करना अपेक्षित है, जो लोक प्राधिकरण के पास पहले से गौजूद है अथवा उसके नियंत्रण में है। जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना; या सूचना की व्याख्या करना; या आवेदक द्वारा उठाई गई रामस्याओं का सामाधान करना; या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है।

प्रकटीकरण से छूट प्राप्त सूचना

10. इस अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) और धारा 9 में सूचना की ऐसी श्रेणियों का विवरण दिया गया है, जिन्हें प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है। फिर भी, धारा 8 की उप-धारा (2) में यह प्रावधान है कि उप-धारा (1) के अन्तर्गत छूट प्राप्त सूचना का अथवा शासकीय गोपनीय अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत छूट प्राप्त सूचना का प्रकटीकरण किया जा सकता यदि प्रकटीकरण से, संरक्षित हित को होने वाले नुकसान की अपेक्षा बहुत लोक हित सघन हो। इसके अलावा धारा 8 की उप-धारा (3) में यह प्रावधान है कि उप-धारा (1) के खण्ड (क), (ग) और (झ) में उपबन्धित सूचना के यह प्रावधान है कि उप-धारा (1) के खण्ड (क), (ग) और (झ) में उपबन्धित सूचना के सिवाय उस उप-धारा के अन्तर्गत प्रकटीकरण से छूट प्राप्त सूचना, सम्बद्ध घटना के घटित होने की तारीख के 20 वर्ष बाद प्रकटीकरण से मुक्त नहीं रहेगी।

11. स्मरणीय है कि अधिनियम की धारा 8 (3) के अनुसार लोक प्राधिकरणों से यह अपेक्षा नहीं की गई है कि वे अभिलेखों को अनन्त काल तक सुरक्षित रखें। लोक प्राधिकरण को प्राधिकरण में लागू अभिलेख धारण अनुसूची के अनुसार ही अभिलेखों को संरक्षित रखना चाहिए। किसी फाइल में सृजित जानकारी फाइल / अभिलेख के नष्ट हो जाने के बाद भी कार्यालय ज्ञापन अथवा पत्र अथवा किसी भी अन्य रूप में मौजूद रह जाने के बाद इस प्रकार उपलब्ध अन्तर्गत-प्रकटन से छूट प्राप्त होने के बावजूद भी, 20 वर्ष बाद इस प्रकार उपलब्ध जानकारी उपलब्ध करा दी जाए। अर्थ यह है कि ऐसी जानकारी जिसे सामान्य रूप से जानकारी से सम्बन्धित घटना के घटित होने के 20 वर्ष बाद ऐसी छूट से मुक्त हो जायेगी। तथापि, निम्नलिखित प्रकार की जानकारी के लिए प्रकटन से छूट जारी रहेगी और 20 वर्ष बीत जाने के बाद भी ऐसी जानकारी को किसी नागरिक को देना बाध्यकारी नहीं होगा—

(i) ऐसी जानकारी जिसके प्रकटन से भारत की संप्रभुता और अखण्डता, राष्ट्र की सुरक्षा, सामरिक, वैज्ञानिक और आर्थिक हित, विदेश के साथ सम्बन्ध प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती हो अथवा किसी अपराध को करने का उद्दीपन होता हो;

(ii) ऐसी जानकारी जिसके प्रकटन से विधान मण्डल के विशेषाधिकार की अवहेलना होती हो; अथवा

(iii) अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) के खण्ड (झ) के प्रावधान में दी गई शर्तों के अधीन मंत्रिपरिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार-विमर्श सहित मंत्रिमण्डलीय दस्तावेज।

सूचना की समयबद्ध आपूर्ति

12. अधिनियम के अनुसार यह आदेशित है कि कुछेक विशेष परिस्थितियों को छोड़कर सूचना के लिए प्राप्त आवेदन पर अनुरोध प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर निर्णय दे दिया जाय। जहाँ मार्गी गई सूचना का संबंध व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से हो, तो सूचना अनुरोध प्राप्त होने के 48 घण्टे के भीतर उपलब्ध करा देनी चाहिए। यदि सूचना के अनुरोध पर निर्णय निर्धारित अवधि के अन्दर नहीं दिया जाता है, तो यह समझा जायेगा कि अनुरोध को नामंजूर कर दिया गया है। यदि लोक प्राधिकरण निर्धारित समय—सीमा का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो संबंधित आवेदक को सूचना मुफ्त उपलब्ध कराई जायेगी।

सूचना का अधिकार का अध्यारोही प्रभाव होना

13. सूचना का अधिकार अधिनियम के उपबन्ध, शासकीय गोपनीयता अधिनियम, 1923 और तत्समय प्रभावी किसी अन्य कानून में ऐसे प्रावधान, जो सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों से असंगत है, की स्थिति में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होंगे।

रिकार्डों का रख-रखाव और कम्प्यूटरीकरण

14. अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए रिकार्डों का समुचित प्रबन्धन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए लोक प्राधिकरणों को अपने सभी रिकार्ड ठीक तरह से रखने चाहिए। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके सभी रिकार्ड सम्यक् रूप से सूचीपत्रित और अनुक्रमणिकाबद्ध हों, ताकि सूचना के अधिकार को सुकर बनाया जा सके।

15. लोक प्राधिकरणों (Public Authorities) को कम्प्यूटरीकृत करने योग्य सभी रिकार्डों को कम्प्यूटरीकृत करके रखना चाहिए। इस तरह कम्प्यूटरीकृत किए गए रिकार्डों को विभिन्न प्रणालियों पर नेटवर्क के माध्यम से जोड़ देना चाहिए, ताकि ऐसे रिकार्डों तक पहुँच को सुकर बनाया जा सके।

स्वतः प्रकटन (Suo Motu Disclosure)

16. प्रत्येक लोक प्राधिकरण (Public Authority) से अपेक्षित है कि वे लोगों को सम्प्रेषण के विभिन्न माध्यमों से अधिक-से-अधिक सूचना मुहैया कराएं, ताकि लोगों को सूचना प्राप्त करने के लिए अधिनियम का कम-से-कम प्रयोग करना पड़े। इंटरनेट

सम्प्रेषण के सबसे प्रभावी साधनों में से एक है। अतः लोक प्राधिकरणों को अधिक-से-अधिक सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध होनी चाहिए।

17. अधिनियम की धारा 4(1) (ख) के अनुसार सभी लोक प्राधिकरणों (Public Authorities) से यह अपेक्षित है कि वे सूचना की निम्नलिखित 16 श्रेणियों को विशेष रूप से मैनुअल के रूप में प्रकाशित कर वेबसाइट पर अपलोड करें :—

- (i) अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य;
- (ii) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य;
- (iii) विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं;
- (iv) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए रख्यां द्वारा निर्धारित मापमान;
- (v) अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख;
- (vi) ऐसे दस्तावेजों की श्रेणी का विवरण जो उनके द्वारा धारित किये गये हैं अथवा उनके नियंत्रण में हैं;
- (vii) किसी व्यवरथा का विवरण जिसमें उसकी नीति निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं;
- (viii) बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिसमें दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति हों और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह के प्रयोजन के लिए की गई हो, और यह विवरण कि क्या इन बोर्डों, परिषदों, समितियों तथा अन्य निकायों की बैठक लोगों के लिए खुली है, अथवा ऐसी बैठक के कार्यवृत्त लोगों के लिए सुलभ हैं;
- (ix) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका;
- (x) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा विभिन्नमों में यथा उपलब्ध क्षतिपूर्ति की प्रणाली सहित प्राप्त किया गया मासिक पारिश्रमिक;
- (xi) सभी योजनाओं, प्रस्तावित परिव्यय और किए गये आहरणों राग्रही रिपोर्ट सामग्री को दर्शाते हुए इसके प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट;
- (xii) आवंटित राशि सहित सब्सिडी कार्यकर्मों के निष्पादन का ढंग और ऐसे कार्यकर्मों के लाभार्थियों का व्यौरा;
- (xiii) अपने द्वारा मंजूर की गई रियायत, अनुज्ञा पत्र या प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण;

- (xiv) अपने पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध अथवा धारित की गई सूचना के रामबन्ध में व्यौरा;
- (xv) सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं के ब्यौरे, जिनमें जनसाधारण के लिए उपलब्ध पुस्तकालय या वाचन कक्ष के ब्यौरे भी सम्मिलित हों;
- (xvi) जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियों;

18. लोक प्राधिकरण (Public Authority) प्रकाशन के लिए उक्त सूचना श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य श्रेणी भी निर्धारित कर सकती है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ऊपर संदर्भित सूचना का प्रकाशन वैकल्पिक नहीं है। यह एक कानूनी आवश्यकता है, जिसे पूरा करना प्रत्येक लोक प्राधिकरण के लिए जरूरी है।

19. स्मरणीय है कि उक्त सूचनाओं का एक बार प्रकाशन कर देना पर्याप्त नहीं है। लोक प्राधिकरण को इन सूचनाओं को प्रत्येक वर्ष अद्यतन करते रहना चाहिये। जैसे ही सूचना में कोई परिवर्तन हो इसे अद्यतन कर दिया जाना चाहिये। विशेषकर इंटरनेट पर सूचना हर समय अद्यतन रखी जानी चाहिये।

सूचना का प्रचार-प्रसार

20. लोक प्राधिकरणों से यह अपेक्षित है कि वे सूचनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। प्रचार-प्रसार इस प्रकार से होना चाहिये कि यह लोगों तक आसानी से पहुँच जाय। ऐसा नोटिस बोर्ड, सामाचार पत्रों, लोक उद्घोषणाओं, मीडिया प्रसारण, इंटरनेट अथवा किसी अन्य साधनों के माध्यम से किया जा सकता है। लोक प्राधिकरण को सूचना का प्रचार-प्रसार करते साथ लागत प्रभावकारिता, रथानीय भाषा और राम्प्रेषण के प्रभावी तरीकों का ध्यान रखना चाहिये।

नीतियों और निर्णयों के बारे में तथ्यों का प्रकाशन

21. लोक प्राधिकरण (Public Authority) समय समय पर नीति निर्धारण और निर्णय लेने का कार्य करते रहते हैं। अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार महत्वपूर्ण नीति निर्धारण करते समय अथवा लोगों को प्रभावित करने वाले निर्णयों की घोषणा करते समय लोक प्राधिकरण को चाहिये कि वह ऐसी नीतियों और निर्णयों के बारे में आम लोगों के लिए सम्बद्ध तथ्यों का प्रकाशन करें।

निर्णयों के कारण उपलब्ध करना।

22. लोक प्राधिकरण (Public Authority) को समय समय पर लोगों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक और न्यायिक निर्णय लेने होते हैं। सम्बन्धित लोक प्राधिकरण के लिए यह बाध्यकारी है कि वह प्रभावित लोगों को ऐसे निर्णयों के कारण बतायें इसके लिए सम्प्रेषण के समुचित माध्यम का प्रयोग किया जाना चाहिये।

जन सूचना अधिकारियों आदि को नामित करना।

23. प्रत्येक लोक प्राधिकरण (Public Authority) को अपने अधीनस्थ सभी प्रशासनिक एककों तथा कार्यालयों में जन सूचना अधिकारी नामित करने होते हैं। उन्हें प्रथम अपीलीय प्राधिकारी भी नामित करने चाहिये और उनका विवरण जन सूचना अधिकारियों के विवरण के साथ ही प्रकाशित कर देना चाहिये। प्रत्येक लोक प्राधिकरण (Public Authority) से प्रत्येक उप-प्रभागीय स्तर पर सहायक जन सूचना अधिकारियों को नामित करना भी अपेक्षित है।

शुल्क की प्राप्ति

24. यथा संशोधित सूचना का अधिकार (शुल्क एवं लागत विनियमन) नियमावली 2006 के अनुसार सूचना के लिए प्रार्थना करने वाला कोई भी व्यक्ति देय शुल्क का भुगतान लोक प्राधिकरण के लेखाधिकारी को रोकड़ में या डिमांड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चेक अथवा भारतीय डाक आदेश द्वारा कर सकता है। लोक प्राधिकरण के लिए यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि शुल्क के भुगतान के उक्त तरीकों में से किसी को भी मना नहीं किया जाये। सूचना के अधिकार अधिनियम अथवा इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत शुल्क प्राप्त करने के प्रयोजन से किसी अधिकारी को नामित कर देना चाहिए।

आवेदनों का अन्तरण

25. अधिनियम में प्रावधान है कि यदि किसी लोक प्राधिकरण (Public Authority) से किसी ऐसी सूचना के लिए आवेदन किया जाता है जो किसी अन्य लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है, अथवा जिसकी विषय वस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकरण के कार्यों से अधिक सम्बद्ध है, तो आवेदन प्राप्त करने वाले लोक प्राधिकरण को आवेदन अथवा उसके संगत भाग को आवेदन की प्राप्ति के पाँच दिन के भीतर सम्बद्ध लोक प्राधिकरण को आन्तरित कर देना चाहिए। लोक प्राधिकरणों को चाहिए कि वे अपने प्रत्येक अधिकारी को अधिनियम के इस प्राविधान के बारे में सम्वेदनशील

- (ख) ऐसे निर्णयों की संख्या, जहां आवेदक अनुरोध किए गए दस्तावेजों को प्राप्त करने के हकदार नहीं थे। अधिनियम के प्रावधान जिनके अधीन ये निर्णय किए गए और उन अवसरों की संख्या, जहां ऐसे प्रावधानों का प्रयोग किया गया,
- (ग) अधिनियम को लागू करने के राग्वन्ध गें अधिकारियों के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई के त्वारे;
- (घ) अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक लोक प्राधिकरण द्वारा एकत्र प्रभारों की राशि; और
- (ङ) ऐसे तथ्य जो अधिनियम के भाव और अभिप्राय को प्रशासित और कार्यान्वित करने हेतु लोक प्राधिकरणों द्वारा किए गए किसी प्रयास को दर्शाएं।

30. प्रत्येक लोक प्राधिकरण को वर्ष की समाप्ति के तुरन्त बाद आवश्यक सामग्री अपने प्रशासकीय विभाग को भेज देनी चाहिए ताकि विभाग उसे सूचना आयोग को भेज सके और आयोग इसे अपनी रिपोर्ट में शामिल कर सके।

31. यदि राज्य सूचना आयोग को ऐसा प्रतीत होता है कि किसी लोक प्राधिकरण की कोई प्रक्रिया अधिनियम के प्रावधानों अथवा अभिप्राय के अनुरूप नहीं है, तो वह प्राधिकरण से ऐसे कदम उठाने की अनुशंसा कर सकता है जिससे प्रक्रिया अधिनियम के अनुरूप हो जाए। लोक प्राधिकरण को चाहिए कि वह अपनी अभिक्रिया को अधिनियम के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे।

कार्यक्रम इत्यादि का विकास

32. प्रत्येक प्राधिकरण से यह आशा की जाती है कि वह जनता, विशेषकर अलाभान्वित जनता की अधिनियम में अपेक्षित अधिकारों का प्रयोग करने से सम्बन्धित समझदारी बढ़ाने के लिए शैक्षणिक कार्यक्रमों का विकास और आयोजन करेगा। उनसे अपनी गतिविधियों के बारे में सटीक सूचना के यथासमय और प्रभावी प्रसार को सुनिश्चित करने की भी अपेक्षा की जाती है। इन आकांक्षाओं को पूरा करने और अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए लोक प्राधिकरण के जन सूचना अधिकारियों और अन्य अधिकारियों का प्रशिक्षण अति आवश्यक है। अतः लोक प्राधिकरणों को चाहिए कि वे अपने जन सूचना अधिकारी / प्रथम अपीलीय प्राधिकारी तथा अन्य अधिकारियों, जो अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हों, के प्रशिक्षण हेतु व्यवस्था करें।